आरईसी लिमिटेड

निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति

1.0 परिचय

1.1 आरईसी लिमिटेड (आरईसी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में एक सरकारी कंपनी है। भारतीय रिजर्व बैंक में आरईसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरईसी के इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

1.2 एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, प्रधान निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 और कंपनी पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसरण में, कंपनी ने ***निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति तैयार की है***, जिसे निदेशक मंडल द्वारा नामांकित और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा पर अनुमोदित किया गया है।

1.3 एक सरकारी कंपनी होने के कारण, और एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में, सभी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड में नामित/नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है। यह नीति योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और नियामक मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड के आधार पर निदेशक (कों) के रूप में नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निरंतरता के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) के ड्यू डिलिजेंस के लिए कंपनी की आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया का निर्धारण करती है।

2.0 परिभाषाएं

2.1 इस नीति में, जब तक कि विषय इसके उपयोग या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:

- '**बोर्ड**'/'**निदेशक मंडल** ' का अर्थ कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय होगा;
- '**कंपनी**'/'**आरईसी**' का अर्थ होगा आरईसी लिमिटेड (सीआईएन L40101DL1969GOI005095);
- '**निदेशक**' का अर्थ कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशक होगा;

  a. '**स्वतंत्र निदेशक**'/'**गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक**' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, एनबीएफसी या अन्य लागू कानूनों के लिए आरबीआई के मानदंडों, समय-समय पर संशोधित, के अर्थ में कंपनी का स्वतंत्र निदेशक होगा;

- '**एमओपी/प्रशासनिक मंत्रालय**' का अर्थ होगा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, जो कि आरईसी का प्रशासनिक मंत्रालय है;

- '**नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)**' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार गठित आरईसी के निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति है।;

- '**नीति**' का अर्थ आरईसी के "निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति" होगा;

3.0 निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड

3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थों में एक सरकारी कंपनी होने के कारण और कंपनी के एसोसिएशन के लेख के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड के सभी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित / नियुक्त / पुनर्नियुक्त किया जाता है।

3.2 निदेशकों का नामांकन / नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति और उनकी पात्रता मानदंड, योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया आदि भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) आदि, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है तथा अंतिम अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, के निर्धारित मानदंडों के अधीन है।

3.3 इसी क्रम में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किसी निदेशक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के समय और/या निदेशक के रूप में सेवाविस्तार (वार्षिक रूप से) के लिए योग्यता, विशेषज्ञता के आधार पर किसी व्यक्ति के ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और नियामक मानदंडों के तहत निर्धारित अन्य 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंडों का सम्यक परीक्षण करेगी, जिनमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(i) व्यक्ति के सत्यनिष्ठ, नैतिक और उच्च मूल्यों वाला होना चाहिए।

(ii) निदेशक के कर्तव्यों का उचित निर्वाह और परिश्रमपूर्वक अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान और समझ होनी चाहिए।

(iii) वह कंपनी के साथ हितों के टकराव की किसी भी स्थिति में शामिल नहीं होगा और जहां भी आवश्यक होगा, इस संबंध में तत्काल आवश्यक सूचना देगा।

(iv) वह कंपनी के कारोबार संबंधी मामलों के लिए पर्याप्त ऊर्जावान और समय देने के लिए तैयार होगा।

(v) वह कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 या समय-समय पर लागू अन्य कानूनों के तहत निदेशक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, निर्धारित लागू शर्तों को पूरा करेगा।

4.0 सम्यक परीक्षण (ड्यू डिलिजेंस) की प्रक्रिया

4.1 निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के मामले में, कंपनी अनुबंध-क में दिए गए प्रारूप में प्रस्तावित/मौजूदा निदेशक से सूचना/घोषणा प्राप्त करेगी।

4.2 एनआरसी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के समय प्राप्त सूचना/घोषणा की जांच करेगी और निदेशक की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी। निदेशक से प्राप्त घोषणा के साथ एनआरसी का निर्णय निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

4.3 नामित/निर्वाचित निदेशक द्वारा **अनुबंध-ख** में दिए गए प्रारूप में कंपनी के साथ एक 'संविदा विलेख' (अनुलिपि (डुप्लिकेट) में) निष्पादित किया जाएगा।

4.4 कंपनी, निदेशकों से वार्षिक आधार पर, एक साधारण घोषणा प्राप्त करेगी (वर्ष की 31 मार्च की स्थिति को दर्शाते हुए) कि पहले से प्रदान की गई जानकारी/घोषणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, या जहां भी कोई परिवर्तन हुआ है, अपेक्षित विवरण तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा।

4.5 एनआरसी, वार्षिक सूचना/घोषणा की जांच करेगी ताकि पर्याप्त रूप से सम्यक परीक्षण किया जा सके और निदेशक की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति की समीक्षा की जा सके। एनआरसी बोर्ड को परिवर्तनों, यदि कोई हो, से अवगत कराएगी।

4.6 एनआरसी, कंपनी में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के समय और/या निदेशक के रूप में बने रहने के लिए किसी व्यक्ति के सम्यक परीक्षण के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्रवाई/कदम उठाने के लिए अधिकृत होगी, ताकि उन पर लागू नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके।

4.7 ऐसे मामलों में जहां प्रशासनिक मंत्रालय ने एक अंतरिम अवधि के लिए कंपनी के किसी मौजूदा निदेशक को आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक का 'अतिरिक्त प्रभार' सौंपा है, यानी जब तक एक नियमित पदधारी नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे मामलों में यह नीति लागू नहीं होगी।

5.0 आरबीआई को रिपोर्टिंग

5.1 कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक में (तिमाही की समाप्ती के बाद 15 दिनों के अंदर) कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन के बारे में एक तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसे प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि कंपनी में निदेशक (निदेशकों) के चयन में 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड का अनुसरण किया गया है।

5.2 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही का विवरण भी लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

6.0 समीक्षा

6.1 इस नीति की समय-समय पर एनआरसी/बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा सकती है और नियामक परिवेश में परिवर्तन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो इसे संशोधित किया जा सकता है।

6.2 इस नीति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को मामूली संशोधन करने और कानून के लागू/संशोधित प्रावधानों का पालन करने या किसी निर्देश, परिपत्र आदि का पालन करने के लिए नियामक द्वारा जारी करने; और इस नीति की व्याख्या के संबंध में किसी भी मुद्दे के निपटान हेतु आवश्यक परिवर्तनों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत हैं।

*****

अनुलग्नक-क

आरईसी लिमिटेड

(सीआईएन L40101DL1969GOI005095)

निदेशक द्वारा घोषणा एवं शपथ पत्र ---------- ---- (दिनांक---------- के अनुसार जैसा भी हो, उपयुक्त संलग्नकों के साथ)

I	**निदेशक का व्यक्तिगत विवरण**	
क.	पूरा नाम	
ख.	डीआईएन	
ग.	राष्ट्रीयता	
घ.	जन्म तिथि और आयु	
च.	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	
छ.	प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव	
ज.	स्थायी पता	
झ.	वर्तमान पता	
ट	ई-मेल / टेलीफोन नंबर	
ठ.	आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या और आयकर मंडल का नाम और पता	
ड.	सामाजिक सुरक्षा संख्या / पासपोर्ट संख्या	
त.	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव	
थ.	एनबीएफसी के कारोबार में अनुभव (वर्षों की संख्या)	
द.	कंपनी में इक्विटी शेयरधारिता	
(i)	शेयरों की संख्या	
(ii)	अंकित मूल्य (₹ 10/-)	
(iii)	कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत।	
ध	आरईसी के निदेशक पद के लिए प्रासंगिक कोई अन्य सूचना।	
II	**निदेशक के प्रासंगिक संबंध**	
क.	संबंधियों की सूची, जो आरईसी से जुड़े हों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) को कंपनी (व्याख्याओं के विवरण का निर्धारण) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ें) जैसा कि संशोधित है)।	
ख.	संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उन्हें रुचि रखने वाला माना जाता है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें)	
ग.	संस्थाओं (कंपनियों, फर्मों और स्वामित्व वाली कंपनियों सहित) की सूची, जिसमें व्यक्ति को आरबीआई के प्रधान निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी	

	(रिजर्व बैंक) निदेश, 2016, यथा संशोधित में निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अर्थ में पर्याप्त हित रखने वाला माना जाए।।	
घ.	ऊपर उल्लिखित संस्थाओं के प्रमुख बैंकरों के नाम।	
च.	अन्य कंपनियों के नाम जिनमें व्यक्ति ने अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद धारण किया है।	
छ.	उन संस्थाओं के नियामकों (आरबीआई, सेबी, इरेडा, पीएफआरडीए, एनएचबी या कोई अन्य विदेशी नियामक) के नाम, जिनमें उल्लेखित व्यक्ति निदेशक है अथवा पहले रहा है।	
ज.	एनबीएफसी का नाम जिसमें व्यक्ति बोर्ड का सदस्य है या रहा है (उस अवधि का विवरण देते हुए जिसके दौरान यह पद धारण किया गया था)	
झ.	एनबीएफसी का नाम, यदि कोई हो, जिसके साथ व्यक्ति एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित प्रमोटर, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसे आरबीआई द्वारा जमा स्वीकार करने / मुकदमा चलाने से प्रतिबंधित किया गया हो।	
ट	क्या व्यक्ति द्वारा धारित निदेशकपदों की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।	
ठ.	निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों, जो वर्तमान में उनके द्वारा और/या आरईसी से ऊपर ॥ (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई हैं।	
ड.	वे मामले, यदि कोई हों, जहां निदेशक, उनके संबंधियों या ऊपर ॥ (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं डिफाल्ट में हों या आरईसी या किसी अन्य संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में पूर्व समय में चूक की गई हो/एनबीएफसी/बैंक।	
III	**व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड**	
क.	प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV	**निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियाँ, यदि कोई हो,**	
क.	यदि निदेशक एक पेशेवर संघ/निकाय का सदस्य है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित हो या शुरू की गई हो या जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ अतीत में किसी भी समय दोष सिद्ध हुआ है या क्या उसे किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।	
ख.	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए निदेशक और/या उपरोक्त ॥ (बी) और (सी) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के खिलाफ अतीत में लंबित या शुरू होने या दोष सिद्ध होने के	

	परिणामस्वरूप अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो।	
ग.	निदेशक के खिलाफ पिछले पांच वर्षों में आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप दोष सिद्ध हुआ है, का विवरण।	
घ.	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित कोई भी अयोग्यता को रखता है?	
च.	क्या निदेशक या उपरोक्त II (बी) और (सी) में से कोई भी, किसी सरकारी संथा या एजेंसी के मामले में किसी जांच के अधीन है?	
छ.	क्या निदेशक को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है, तो विवरण दें।	
ज.	क्या निदेशक को कभी सेबी, आईआरडीए और एमसीए जैसे नियामक की प्रतिकूल नोटिस मिली है। (*यद्यपि एक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह नियामकों द्वारा किए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में ऊपर उल्लेख करे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया/अलग कर दिया गया, उल्लेख करना तभी आवश्यक होगा, यदि प्रत्यावर्तन/निरस्त, तकनीकी कारणों जैसे लिमिटेशन या अधिकार क्षेत्र की कमी आदि के कारण किया गया हो, योग्यता के आधार पर नहीं। यदि नियामक के आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना जाए।*)	
V	**मद I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना और उपयुक्त एवं उचित निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली कोई अन्य सूचना।**	

<u>शपथ पत्र</u>

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं वचन देता हूं कि मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी बातों, जो ऊपर दी गई जानकारी से संगत हैं, के बारे में आरईसी को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करने का वचन देता हूं।

मैं आरईसी के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों के विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता हूं।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक :	
VI.	**नामांकन और पारिश्रमिक समिति/आरईसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की टिप्पणियां।**
स्थान: दिनांक:	हस्ताक्षर .....

अनुलग्नक-ख

आरईसी लिमिटेड

निदेशक के साथ अनुबंधों का विलेख

अनुबंधों का यह विलेख दो हजार _____ की _____ तारीख को, एक तरफ **आरईसी लिमिटेड (CIN L40101DL1969GOI005095) के बीच किया गया है,** जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर -4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में और कारपोरेट कार्यालय, वैश्विक मुख्यालय, प्लॉट सं. आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001 में है (जिसे इसके बाद 'आरईसी' कहा गया है) और दूसरी तरफ_____के श्री/श्रीमती. /सुश्री/डॉ._____(जिन्हें इसके बाद "निदेशक" कहा गया है) के बीच किया गया है।

जबकि

क. निदेशक को आरईसी लिमिटेड (आरईसी) (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और आरईसी के साथ अनुबंधों का विलेख, उनकी नियुक्ति की अवधि के लिए आवश्यक है।

ख. निदेशक यह अनुबंध विलेख करने के लिए सहमत हैं, जिसे बोर्ड द्वारा उनकी नियुक्ति की उक्त शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

सहमति होने पर अनुबंधों का यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है:

1. निदेशक को यह स्वीकार है कि आरईसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति लागू कानूनों और विनियमों के अधीन है जिसमें आरईसी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा इस अनुबंधों के विलेख के प्रावधान शामिल हैं।

2. **निदेशक आरईसी के साथ अनुबंध करता है कि:**

   (i) निदेशक बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को होने वाले हितों की प्रकृति का खुलासा करेगा, यदि उसका कोई हित है या किसी अनुबंध या व्यवस्था या किसी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश किया है या प्रवेश किया जाना है। आरईसी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, उसी के बारे में पता चलने पर या बोर्ड की बैठक में, जिसमें इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के प्रश्न पर विचार किया जाता है या यदि निदेशक संबंधित बैठक की तारीख पर नहीं था या इस तरह के प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में हित रखता है, तो निदेशक के अनुबंध या व्यवस्था में संबंधित या रुचि होने के बाद बोर्ड की पहली बैठक में उसके जुड़े होने

या इच्छुक होने के बाद और किसी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में, बोर्ड की पहली बैठक में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ii) निदेशक बोर्ड को स्वयं द्वारा धारित अन्य निदेशकपदों, कॉर्पोरेट निकायों की अपनी सदस्यताओं, अन्य संस्थाओं में अपने हितों और फर्मों के भागीदार या मालिक के रूप में अपने हितों का खुलासा करेगा और बोर्ड को उसमें होने सभी बदलावों से अवगत कराएगा।

(iii) निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित अपने संबंधियों की एक सूची आरईसी को प्रदान करेगा और जिस हद तक निदेशक अन्य निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों और अन्य संस्थाओं में ऐसे रिश्तेदारों के निदेशकों और हितों से अवगत है।

(iv) निदेशक द्वारा आरईसी के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया जाएगा:

क. निदेशक अपने कौशल को इस रूप में उपयोग करेगा जो उसके ज्ञान या अनुभव से अपेक्षित होगा;
ख. अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस तरह करेगा जितना उससे उचित रूप से करने की उम्मीद की जा सकती है और उसके द्वारा आरईसी के हित में पूर्ण विश्वास और स्वयं में निहित किसी भी शक्ति के प्रयोग से किया जा सकता है;
ग. आरईसी के कारोबार, गतिविधियों और वित्तीय स्थिति का उस सीमा तक ज्ञान रखेगा, जितना उसे बताया गया है;
घ. बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है) निष्पक्ष नियमितता के साथ भाग लेगा और आरईसी के निदेशक के रूप में अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से पूरा करेगा;
ङ. आरईसी के हितों के अलावा किसी अन्य विचार के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;
च. बोर्ड के सामने लाए गए आरईसी को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लेगा, जिसमें सांविधिक अनुपालन, प्रदर्शन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानकों तक सीमित नहीं है;
छ. बोर्ड के समक्ष लाए गए या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अपने निर्णय के प्रयोग में किसी भी व्यवसाय या अन्य संबंध से मुक्त होगा जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग में उसे भौतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है; तथा
ज. बिना किसी डर या पक्षपात के अपने स्वतंत्र निर्णय करेगा और बिना किसी प्रभाव के बोर्ड की बैठकों में अपने विचार और राय व्यक्त करेगा।

(v) निदेशक के पास होगा:

क. सद्भावना पूर्वक आरईसी के हित में कार्य करने के लिए प्रत्ययी कर्तव्य और किसी भी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए कार्य न करने का कर्तव्य;
ख. आरईसी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा लागू कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर ही कार्य करने का कर्तव्य; तथा
ग. आरईसी के कारोबार की उचित समझ विकसित करने का कर्तव्य।

(vi) निदेशक को:

क. बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए;

ख. आरईसी के पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जहां भी निदेशक के पास अन्यथा विश्वास करने का कारण हो, वह तुरंत बोर्ड को अपनी चिंताओं से अवगत कराना होगा; तथा

ग. अपने या किसी और के हित या लाभ के लिए बोर्ड के सदस्य के रूप में उसे / उसे प्रकट की गई जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए और आरईसी द्वारा आरईसी के निदेशक के रूप में उसे/उसके लिए प्रकट की गई जानकारी का निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के उद्देश्य से और अपनी क्षमता में ही उपयोग करना चाहिए, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

3. आरईसी द्वारा निदेशक के साथ अनुबंध किया गया है कि:

(i) आरईसी, निदेशक को इस बारे में अवगत कराएगा:

क. निदेशक के विधिक और अन्य कर्तव्यों की पहचान और सांविधिक दायित्वों के साथ आवश्यक अनुपालन सहित बोर्ड प्रक्रियाएं;

ख. नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं;

ग. बोर्ड की बैठकों में मतदान का अधिकार जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें निदेशक को अपने हित के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेना चाहिए;

घ. योग्यता आवश्यकताओं तथा ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की प्रतियां उपलब्ध कराना;

च. कॉर्पोरेट नीतियां और प्रक्रियाएं;

छ. इनसाइडर कारोबार प्रतिबंध;

ज. बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के गठन, अधिकार संबंधी प्रत्यायोजन और संदर्भ की शर्तें;

झ. वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार;

ट. पारिश्रमिक नीति;

ठ. बोर्ड की समितियों के विचार-विमर्श; तथा

ड. नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, लागू नियमों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करना जिसमें आरईसी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ अधिकारी आदि शामिल हैं और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना जो सभी वैधानिक और विधिक अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) आरईसी, निदेशक सहित बोर्ड को सभी सूचना प्रदान करेगा जिनकी जानकारी आरईसी के निदेशक के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा विचार के लिए निदेशक को सौंपे गए या बोर्ड के सामने लाए गए मामलों के संबंध में बेहतर निर्णय लेने के लिए आवश्यक है;

(iii) आरईसी द्वारा निदेशकों के समक्ष किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

क. बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों के संबंध में बेहतर निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाएँ;

ख. आरईसी की रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाएं और पूर्वानुमान;

ग. आरईसी की संगठनात्मक संरचना और प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल;

घ. प्रक्रियाओं सहित कॉर्पोरेट तथा प्रबंधन नियंत्रण और सिस्टम;

च. आर्थिक विशेषताएं एवं विपणन परिवेश;

छ आरईसी के उत्पादों पर उपयुक्त सूचना एवं अद्यतन;

ज. प्रमुख व्यय पर सूचना एवं अद्यतन;
झ. आरईसी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; तथा
ट. कार्यनीतिक पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(iv) आरईसी, निदेशकों और संबंधित कार्मिकों को बोर्ड के विचार-विमर्श के परिणामों के बारे में सूचित करेगा और और जहां तक संभव हो बोर्ड की बैठक की समापन की तारीख के दो व्यावसायिक दिनों के अंदर बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को समयबद्ध तरीके से निदेशकों को तैयार और प्रसारित करेगा। ; तथा

(v) निदेशक को बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में प्रत्यायोजित अधिकार के स्तरों के बारे में सलाह देना।

4. आरईसी, निदेशक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के काम-काज पर उसकी प्रभावशीलता सहित आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

5. आरईसी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा, जो वरिष्ठ स्तर का कार्यपालक होगा तथा बोर्ड को रिपोर्ट करेगा तथा वह नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा और लागू कानूनों और विनियमों तथा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करेगा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित वैधानिक और सरकारी प्राधिकरणों के निर्देश शामिल होंगे परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

6. आरईसी के निदेशक के रूप में, निदेशक किसी तृतीय पक्ष को अपने कार्यालय और अपने अधिकारों तथा दायित्वों का कार्यभार, हस्तांतरण, उपप्रत्यायोजन नहीं सौंपेगा अथवा भारित नहीं करेगा, बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी बोर्ड द्वारा किसी प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल, शक्ति, प्रकार्य या उसकी किसी समिति द्वारा प्रत्यायोजन, लागू कानूनों और विनियमों के अधीन, जिसमें मेमोरेंडम और आरईसी के एसोसिएशन के लेख शामिल हैं, को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं माना जाएगा। ।

7. किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी दायित्व या कर्तव्य का पालन करने, निर्वहन करने या अनुपालन करने में विफलता को उसकी छूट नहीं माना जाएगा और न ही यह उसके बाद किसी भी समय या समय पर उसके प्रदर्शन, अनुपालन, निर्वहन या अनुपालन के लिए एक बार के रूप में काम करेगा।

8. अनुबंधों के इस विलेख में कोई भी और सभी संशोधन और/या पूरक और/या परिवर्तन केवल तभी मान्य और प्रभावी होंगे जब ये निदेशक और आरईसी द्वारा पूरी तरह से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित हों।

9. अनुबंधों के इस विलेख को दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियों को मूल माना जाएगा।

इस बात के प्रमाण में कि पार्टियों ने इस अनुबंध को ऊपर बताए गए दिन, महीने और वर्ष को विधिवत निष्पादित किया है।

कृते आरईसी लिमिटेड **निदेशक**

द्वारा ....
नाम:
शीर्षक:

.....
नाम:

की उपस्थिति मे:

1. ---------- 2. ----------